NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 15-04-2026

विषय सूची

भारत की नई निर्वासन नीति

डिजिटल पाइरेसी एवं इसके विधिक परिणाम

भारत का खाद्य अपव्यय विरोधाभास

भारत के विनिर्माण केंद्रों में औद्योगिक अशांति

संक्षिप्त समाचार

- BRICS और क्वाड समूह
- कोन्याक नागा जनजाति की कैंसर-रोधी जड़ी-बूटियाँ
- ग्लुफोसिनेट
- हबल तनाव
- दुर्बलता (Frailty)

भारत की नई निर्वासन नीति

समाचारों में

- हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा नई निर्वासन नीति जारी की गई।

निर्वासन(Deportation) क्या है?

- निर्वासन एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें भारत में अवैध रूप से ठहरने के संदेह वाले विदेशियों को हिरासत में लिया जाता है, न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है, और सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने तथा उनके गृह देश से पहचान की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें निर्वासित किया जाता है।
    - **पुशबैक** अनौपचारिक और कानूनी रूप से परिभाषित न की गई कार्रवाइयाँ होती हैं, जो सीमाओं पर की जाती हैं, जहाँ सुरक्षा बल परिस्थितियों या विवेक के आधार पर किसी विदेशी को तुरंत वापस भेज सकते हैं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत "अवैध प्रवासी" को उस विदेशी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने या तो बिना वैध यात्रा दस्तावेज़ों के भारत में प्रवेश किया हो, अथवा वैध रूप से प्रवेश करने के बाद भी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहराव किया हो।
- चूँकि नागरिकता संबंधी विषय संघ सूची में आते हैं, इसलिए गृह मंत्रालय निर्वासन की देखरेख करता है और राज्य प्राधिकरणों को ज़िम्मेदारियाँ सौंपता है।

नई नीति की प्रमुख विशेषताएँ

- **30-दिन सत्यापन समयसीमा:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संदेहास्पद अवैध प्रवासियों (विशेषकर बांग्लादेश और म्यांमार से) की पहचान 30 दिनों के अंदर सत्यापित करनी होगी; इस अवधि में सत्यापन न होने पर स्वतः निर्वासन की कार्यवाही प्रारंभ होगी।
- **जिला-स्तरीय विशेष कार्यबल (STFs):** सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्रत्येक जिले में पुलिस पर्यवेक्षण के अंतर्गत विशेष कार्यबल गठित करना होगा, जो अवैध प्रवासियों का पता लगाए, पहचान करे तथा निर्वासन की प्रक्रिया पूरी करे। प्रत्येक जिले में पर्याप्त निरोध केंद्र भी स्थापित किए जाएँगे।
- **बायोमेट्रिक एवं जनसांख्यिकीय डेटा:** पहचान होने पर राज्य सरकार को तुरंत व्यक्ति का बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र कर विदेशी पहचान पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- **मासिक रिपोर्टिंग:** सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उन व्यक्तियों का अभिलेख रखना होगा जिन्हें सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को सौंपा गया है, तथा प्रत्येक माह की 15 तारीख को केंद्र को रिपोर्ट साझा करनी होगी।
- **डेटा साझाकरण:** प्रवासन ब्यूरो को सार्वजनिक पोर्टल पर निर्वासित व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है; यह डेटा UIDAI, निर्वाचन आयोग और विदेश मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि भविष्य में निर्वासित व्यक्तियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट जारी न किया जा सके।

अवैध प्रवासियों से उत्पन्न चुनौतियाँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा:** विशेषकर रोहिंग्या प्रवासियों को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामों में उग्रवादी नेटवर्क से जुड़े होने का उल्लेख किया गया है।
- **जनसांख्यिकीय दबाव:** बड़े पैमाने पर बिना दस्तावेज़ों के प्रवास, विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में, स्थानीय जनसंख्या संरचना को बदल देता है और आदिवासी व मूल निवासी समुदायों के साथ सामाजिक-राजनीतिक तनाव उत्पन्न करता है।
- **सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव:** अवैध प्रवासी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), स्वास्थ्य सेवाओं और आवास जैसी सब्सिडी वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कल्याणकारी तंत्र पर अतिरिक्त भार पड़ता है।
- **निर्वाचन अखंडता संबंधी चिंताएँ:** गैर-नागरिकों द्वारा मतदाता पहचान पत्र रखने से निर्वाचन सूची की पवित्रता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, विशेषकर भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में।

- **कानून एवं व्यवस्था:** कई प्रमुख अपराध मामलों और दंगों में अवैध प्रवासियों की संलिप्तता रही है, जिससे अपराध एवं आंतरिक सुरक्षा को लेकर जनचिंता बढ़ी है।
- **शहरी अवसंरचना पर दबाव:** महानगरों में अवैध प्रवासियों की अधिकता झुग्गी-झोपड़ियों की वृद्धि, स्वच्छता संकट और शहरी प्रशासनिक चुनौतियों को बढ़ाती है।

निर्वासन में चुनौतियाँ

- **राज्यविहीनता का जोखिम:** निर्वासित व्यक्तियों, विशेषकर रोहिंग्या, को राज्यविहीन होने का खतरा है क्योंकि म्यांमार उन्हें नागरिक नहीं मानता।
- **गलत हिरासत:** कार्यकर्ताओं और अधिकार समूहों ने मनमानी हिरासत, नागरिकता दस्तावेज़ों के अपर्याप्त सत्यापन एवं हिरासत में दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जताई है।
- **गैर-प्रत्यावर्तन (Non-Refoulement) अंतराल:** भारत 1951 शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून व्यक्तियों को ऐसे स्थानों पर लौटाने से रोकता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- **घरेलू शरणार्थी कानून बनाना:** वास्तविक शरणार्थियों और अवैध आर्थिक प्रवासियों में अंतर करना; 1951 सम्मेलन को औपचारिक रूप से अंगीकार किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानकों के अनुरूप नीति बनाना।
- **द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौते:** बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संरचित, समयबद्ध प्रत्यावर्तन ढाँचे पर बातचीत करना ताकि कानूनी रूप से अनुपालन एवं गरिमापूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सके।
- **विदेशी न्यायाधिकरणों में सुधार:** प्रशिक्षित निर्णायकों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और समयबद्ध निर्णयों के साथ कार्यप्रणाली का मानकीकरण करना — जिससे गलत वर्गीकरण का जोखिम कम हो।
- **प्रौद्योगिकी के साथ विधिसम्मत प्रक्रिया:** बायोमेट्रिक डेटाबेस और विदेशी पहचान पोर्टल का उपयोग कर पहचान की सटीकता बढ़ाना, साथ ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यूनतम प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

Source: TH

डिजिटल पाइरेसी एवं इसके विधिक परिणाम

- **संदर्भ** हाल ही में जना नायकन फिल्म, जिसमें विजय मुख्य भूमिका में हैं, को थिएटर में रिलीज़ से पूर्व ही उच्च गुणवत्ता में ऑनलाइन लीक कर दिया गया, जो आंतरिक संलिप्तता अथवा अधिकृत अभिगम के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है।

पाइरेसी के बारे में

- यह कॉपीराइट संरक्षित सामग्री—जैसे फिल्में, संगीत, सॉफ्टवेयर, पुस्तकें एवं डिजिटल सामग्री—का अनधिकृत उपयोग, पुनरुत्पादन, वितरण अथवा विक्रय को संदर्भित करता है।
- यह मूलतः कॉपीराइट उल्लंघन का एक रूप है, जो तब घटित होता है जब बौद्धिक संपदा का उपयोग अधिकारधारक की अनुमति के बिना किया जाता है।

पाइरेसी के प्रकार

- **भौतिक पाइरेसी (Physical Piracy):** सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव आदि पर अवैध प्रतिलिपि बनाना; यह डिजिटल युग से पूर्व अधिक प्रचलित था।
- **डिजिटल पाइरेसी (Digital Piracy):** टोरेंट वेबसाइटों, टेलीग्राम चैनलों एवं क्लाउड लिंक के माध्यम से डाउनलोड/स्ट्रीमिंग; वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित।
  - इंटरनेट की बढ़ती पहुँच एवं सस्ते डेटा के कारण इसका विस्तार हुआ है।
- **फिल्म पाइरेसी (Film Piracy):** सिनेमाघरों में कैमकॉर्डिंग; ओटीटी अथवा प्रोडक्शन स्रोतों से लीक; तथा प्री-रिलीज़ लीक (जैसे आंतरिक लीक)।
- **सॉफ्टवेयर पाइरेसी (Software Piracy):** सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की अवैध प्रतिलिपि; इसमें क्रैक्ड संस्करण एवं की-जनरेटर शामिल होते हैं।

- **पुस्तक/शैक्षणिक पाइरेसी (Book/Academic Piracy):** पाठ्यपुस्तकों की फोटोकॉपी; एवं पाइरेटेड पीडीएफ (जैसे शैडो लाइब्रेरी) का वितरण।

भारत में फिल्म पाइरेसी की प्रकृति एवं प्रवृत्तियाँ

- भारत वैश्विक स्तर पर पाइरेटेड सामग्री के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। पाइरेसी भौतिक प्रारूपों (सीडी/डीवीडी) से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र—जैसे टोरेंट, टेलीग्राम, क्लाउड शेयरिंग—की ओर स्थानांतरित हो चुकी है।
- उच्च गुणवत्ता वाले लीक प्रायः ओटीटी प्लेटफॉर्म (डीआरएम बाईपास) तथा आंतरिक आपूर्ति शृंखलाओं से उत्पन्न होते हैं।
- पाइरेसी पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक अनुकूलनशील, विकेन्द्रीकृत एवं तकनीकी रूप से उन्नत है, जिससे इसका विनियमन कठिन हो जाता है।

भारत में विधिक ढांचा

- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** यह सिनेमैटोग्राफिक कृतियों के संरक्षण को नियंत्रित करता है तथा निर्माताओं को कॉपीराइट का प्रथम स्वामी मान्यता देता है। प्रमुख प्रावधान:
  - **धारा 63:** अधिकतम 3 वर्ष का कारावास एवं ₹2 लाख तक का जुर्माना।
  - **धारा 63A:** पुनरावृत्ति अपराधों के लिए कठोर दंड।
- **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023:** कैमकॉर्डिंग एवं प्री-रिलीज़ लीक से निपटने हेतु; प्रमुख प्रावधान:
  - अनधिकृत रिकॉर्डिंग/प्रसारण को अपराध घोषित करना।
  - दंड: उत्पादन लागत का अधिकतम 5% तक।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** पाइरेटेड वेबसाइटों को ब्लॉक करने एवं मध्यस्थों की जवाबदेही निर्धारित करने में सहायक।

न्यायिक तंत्र

- **जॉन डो आदेश (John Doe Orders):** पूर्व-निषेधात्मक आदेश।
- **डायनेमिक निषेधाज्ञाएँ (Dynamic Injunctions):** पाइरेसी लिंक का निरंतर अवरोधन।

संबंधित प्रयास एवं पहल

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रमाणन एवं एंटी-पाइरेसी जागरूकता।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा नीति एवं प्रवर्तन।
- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:** सुदृढ़ प्रवर्तन एवं जागरूकता पर बल।
- साइबर अपराध इकाइयाँ (गृह मंत्रालय): ऑनलाइन पाइरेसी नेटवर्क की निगरानी।

फिल्म उद्योग द्वारा एंटी-पाइरेसी उपाय

- **निवारक तंत्र :** सीमित अभिगम (सिनेमाघरों हेतु एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव); डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (DRM); तथा वॉटरमार्किंग (दृश्य/अदृश्य) द्वारा लीक का पता लगाना।
- **लीक के बाद उपाय :** प्लेटफॉर्म को टेकडाउन नोटिस; एंटी-पाइरेसी कंपनियों (जैसे AiPlex) के साथ समन्वय; एवं न्यायालय के आदेश से URL ब्लॉकिंग।

फिल्म पाइरेसी से निपटने में प्रमुख चुनौतियाँ

- **कमजोर प्रवर्तन:** कम दोषसिद्धि दर; न्यायपालिका पर अधिक भार; एवं विशिष्ट IPR न्यायालयों का अभाव।
  - न्यायिक लंबित मामलों एवं अपराधीकरण से संबंधित समस्याएँ प्रवर्तन को कमजोर करती हैं।
- **तकनीकी जटिलता:** VPN, टोरेंट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग; एवं पाइरेसी वेबसाइटों द्वारा बार-बार डोमेन परिवर्तन।
- **आपूर्ति शृंखला की कमजोरियाँ:** आंतरिक लीक; तथा अनेक अभिगम बिंदु (संपादक, वितरक, ओटीटी प्लेटफॉर्म)।
- **उपभोक्ता व्यवहार:** नि:शुल्क/सस्ते कंटेंट की उच्च मांग; एवं विधिक परिणामों के प्रति सीमित जागरूकता।
  - वहनीयता एवं सांस्कृतिक स्वीकृति के कारण पाइरेसी बनी रहती है।

आगे की राह

- **प्रवर्तन सुदृढ़ीकरण:** विशिष्ट IPR न्यायालयों की स्थापना; एवं त्वरित जांच एवं अभियोजन।
- **तकनीकी उपाय:** उन्नत DRM एवं फॉरेंसिक वॉटरमार्किंग; तथा AI-आधारित पाइरेसी पहचान।
- **संस्थागत समन्वय:** एमआईबी, डीपीआईआईटी एवं साइबर अपराध इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल।
- **जन-जागरूकता:** विधिक परिणामों एवं नैतिक उपभोग पर अभियान।
- **औद्योगिक सुधार:** अभिगम नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करना; एवं प्री-रिलीज़ एक्सपोज़र को सीमित करना।

Source: TH

भारत का खाद्य अपव्यय विरोधाभास

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, भारत प्रतिवर्ष 78–80 मिलियन टन खाद्य पदार्थ बर्बाद करता है, जिसकी अनुमानित आर्थिक मूल्य ₹1.55 लाख करोड़ है। यह भारत को विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा खाद्य अपव्यय करने वाला देश बनाता है।

भारत में खाद्य अपव्यय की स्थिति

- UNEP फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति खाद्य अपव्यय का अनुमान 55 किलोग्राम/वर्ष है, जो वैश्विक औसत 79 किलोग्राम/वर्ष से कम है।
- चिंता का विषय है कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में 123 देशों में से 102वें स्थान पर है।
    - भारत की लगभग 12% जनसंख्या कुपोषित है, जो लगभग 170–175 मिलियन लोगों के बराबर है।
- वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 1.05 बिलियन टन खाद्य पदार्थ बर्बाद होते हैं। इसमें लगभग 60% अपव्यय घरेलू स्तर पर, 28% खाद्य सेवाओं में और 12% खुदरा क्षेत्र में होता है।

भारत में खाद्य अपव्यय के प्रमुख कारण

- **कटाई के बाद हानि:** वैज्ञानिक भंडारण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की कमी से भारी नुकसान होता है।
- **भंडारण अवसंरचना:** पर्याप्त आधुनिक भंडारण सुविधाओं के अभाव में पारंपरिक गोदामों में रखे अनाज खराब हो जाते हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएँ:** अक्षम लॉजिस्टिक्स, अनेक मध्यस्थों और परिवहन में विलंब खाद्य पदार्थों के खराब होने में योगदान करते हैं।
- **एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला का अभाव:** आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है।
- **सामाजिक प्रथाएँ:** विवाह, सामाजिक आयोजनों और घरों में अधिक मात्रा में भोजन तैयार करने और जागरूकता की कमी के कारण खाद्य अपव्यय होता है।

खाद्य अपव्यय कम करने हेतु सरकारी पहल

- **खाद्य सुरक्षा और वितरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
    - **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:** संकट और आर्थिक कठिनाई के समय खाद्य पहुँच का विस्तार किया गया।
- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं जैसे गोदाम, साइलो और कोल्ड स्टोरेज हेतु वित्तीय सहायता।
- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:** खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण हेतु आधुनिक अवसंरचना का निर्माण।
    - **मेगा फूड पार्क्स:** उच्च-प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन को बाज़ार से जोड़ना।
    - **एकीकृत कोल्ड चेन:** नाशवान वस्तुओं के संरक्षण हेतु रेफ्रिजरेटेड परिवहन और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा।
    - **ऑपरेशन ग्रीन्स:** टमाटर, प्याज और आलू (TOP) जैसी फसलों की आपूर्ति स्थिर करने एवं अपव्यय कम करने पर केंद्रित।

- **बाज़ार सुधार:** ई-नाम (e-NAM) बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करता है और कृषि बाज़ारों की अक्षमताओं को कम करता है।

खाद्य अपव्यय कम करने में प्रमुख चुनौतियाँ

- भारत में विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य अपव्यय को ट्रैक करने हेतु व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस का अभाव।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कोल्ड चेन अवसंरचना अपर्याप्त।
- अधिशेष भोजन के पुनर्वितरण को अनिवार्य करने वाला सशक्त कानूनी ढाँचा नहीं है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अब भी खाद्य अपव्यय को प्रोत्साहित करते हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

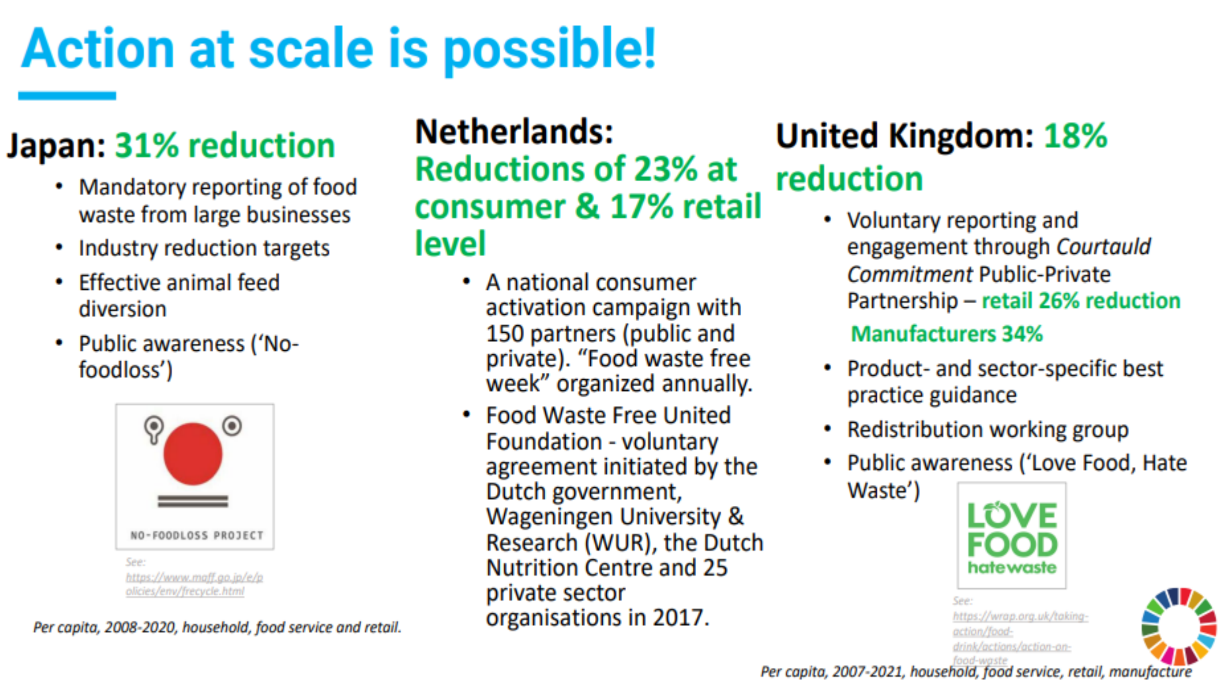

आगे की राह

- भारत में खाद्य अपव्यय उत्पादन, वितरण और उपभोग में प्रणालीगत अक्षमताओं को उजागर करता है, जबकि भूख की समस्या बनी हुई है।
- इस मुद्दे का समाधान खाद्य सुरक्षा, संसाधन दक्षता और सतत विकास के लिए आवश्यक है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 "शून्य भूख" और SDG 12 "जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन" की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे खाद्य अपव्यय में कमी एक प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकता बन जाती है।

Source: TH

भारत के विनिर्माण केंद्रों में औद्योगिक अशांति

संदर्भ

- नोएडा में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने भारत के औद्योगिक क्षेत्रों—मानेसर, सूरत, पानीपत और बरौनी—में बढ़ती श्रमिक अशांति की लहर को उजागर किया है।

प्रदर्शनों का स्वरूप और प्रसार

- इन प्रदर्शनों में वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों का बड़े पैमाने पर जुटान हुआ।

- प्रारंभ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुए ये आंदोलन धीरे-धीरे हिंसक घटनाओं में बदल गए, जिनमें आगजनी, तोड़फोड़ और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ संघर्ष शामिल थीं।

श्रमिक अशांति के मूल कारण

- **वेतन स्थिरता:** श्रमिकों ने श्रम सुधारों के बाद वेतन वृद्धि की अपेक्षा की थी, किंतु अपेक्षित लाभ बुनियादी स्तर पर नहीं मिले, जिससे असंतोष बढ़ा।
- **अनौपचारिकता और संविदात्मक रोजगार:** औद्योगिक श्रमिकों का बड़ा हिस्सा संविदा पर कार्यरत है, जिससे रोजगार की सुरक्षा का अभाव, स्थायी श्रमिकों की तुलना में कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच होती है। इससे श्रम बाज़ार में द्विस्तरीय संरचना बनी है और असमानता बढ़ी है।
- **प्रभाव का प्रसार:** एक औद्योगिक केंद्र में हुए प्रदर्शन ने अन्य केंद्रों को प्रभावित किया। विशेषकर मानेसर और नोएडा के बीच यह नेटवर्क आधारित श्रमिक चेतना को दर्शाता है।
- **जीवनयापन लागत में वृद्धि:** वैश्विक व्यवधानों, विशेषकर होरमुज़ जलडमरूमध्य के आसपास, ने ईंधन और एलपीजी की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ी एवं प्रवासी श्रमिकों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ा।
- **न्यूनतम वेतन संशोधन में असमानता:** राज्यों में वेतन संशोधन अनियमित और असमान रहे हैं। उदाहरण: हरियाणा ने लगभग एक दशक बाद वेतन संशोधित किया। इससे पड़ोसी क्षेत्रों के श्रमिकों में तुलनात्मक असंतोष उत्पन्न हुआ।

अशांति के निहितार्थ

- **आर्थिक निहितार्थ:** अशांति ने औद्योगिक उत्पादन को बाधित किया और प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया। यह अस्थिरता निवेशकों के विश्वास और भारत की विश्वसनीय विनिर्माण गंतव्य की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- **सामाजिक निहितार्थ:** अशांति प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिकों में बढ़ती आर्थिक असुरक्षा को दर्शाती है। इससे विपरीत प्रवासन और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के बीच संकट बढ़ सकता है।
- **शासन संबंधी निहितार्थ:** प्रदर्शन श्रम कानूनों के क्रियान्वयन और विवाद समाधान तंत्र की प्रभावशीलता में कमियों को उजागर करते हैं।

श्रमिक कल्याण हेतु सरकारी उपाय

- **राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन मानक:** सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू किया है, जो राज्यों को न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मानक प्रदान करता है और अत्यधिक वेतन असमानताओं को कम करता है।
- **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना:** बीमित श्रमिकों को बेरोजगारी की स्थिति में राहत और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु शुरू किया गया, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित वितरण संभव हो सके।
- **भारत के श्रम संहिताएँ:** भारत ने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है ताकि विनियमनों को सरल बनाया जा सके और श्रम बाज़ार की दक्षता बढ़ाई जा सके।
  - **वेतन संहिता, 2019:** राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की शुरुआत कर वेतन विनियमन को मानकीकृत करने का प्रयास।
  - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:** ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों, छँटनी और सेवा समाप्ति को विनियमित करती है।
  - **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020:** कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को एकीकृत करती है।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों, जिसमें गिग वर्कर भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है।

आगे की राह

- सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच त्रिपक्षीय संवाद तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि संघर्षों को रोका जा सके।
- सरकार को समयबद्ध और मुद्रास्फीति-सूचकांकित न्यूनतम वेतन संशोधन तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि श्रमिकों की वास्तविक आय जीवनयापन लागत के विरुद्ध सुरक्षित रहे।
- वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे श्रम सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता होना चाहिए ताकि श्रमिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा का कवरेज संविदात्मक और प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

BRICS और क्वाड समूह

समाचारों में

- भारत प्रमुख राजनयिक बैठकों की मेज़बानी करने जा रहा है, जिनमें BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल है।

BRICS के बारे में

- **इतिहास:** BRIC को औपचारिक रूप से 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक में लॉन्च किया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ।
  - 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, जिससे समूह BRICS बना और उसने 2011 में अपना प्रथम शिखर सम्मेलन किया।
- यह समूह विश्व के ग्यारह प्रमुख उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों को एक साथ लाता है।
- **सदस्य:** ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात।
  - 2025 में बेलारूस, बोलीविया, कज़ाख़स्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम BRICS साझेदार देशों के रूप में जुड़े।
- **उद्देश्य:** यह वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के समकालीन मुद्दों पर परामर्श एवं सहयोग का उपयोगी मंच है, साथ ही वैश्विक राजनीतिक तथा आर्थिक शासन से जुड़े मुद्दों पर भी।
- **सहयोग के स्तंभ:**

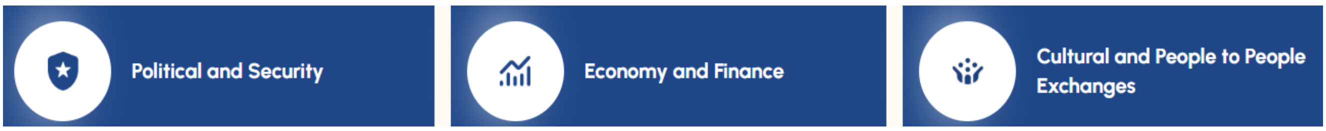

- **विशेष महत्व:** BRICS बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें ईरान और यूएई के अधिकारी हालिया ईरान–अमेरिका–इज़राइल संघर्ष के बाद प्रथम बार आमने-सामने होंगे। वर्तमान में भारत BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और नेताओं का शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में अपेक्षित है।

क्वाड

- यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है, जिसका उद्देश्य मुक्त, खुला एवं समृद्ध इंडो-पैसिफिक का समर्थन करना है।
- **उत्पत्ति:** यह 2004 की सुनामी के बाद आपदा राहत समन्वय प्रयास के रूप में शुरू हुआ और 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप दिया गया।
  - हालांकि, सीमित सामंजस्य और इसे चीन-विरोधी समझे जाने की चिंताओं के कारण इसकी गति धीमी हो गई।
  - 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया और इसके लक्ष्य समुद्री सुरक्षा से परे विस्तारित हुए।

- **सचिवालय:** NATO या EU जैसी संस्थाओं के विपरीत, क्वाड का कोई सचिवालय या औपचारिक निर्णय-निर्माण ढाँचा नहीं है और इसमें पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धताएँ शामिल नहीं हैं।

क्वाड से जुड़े प्रमुख विकास

- **मालाबार नौसैनिक अभ्यास:** 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने अन्य तीन सदस्यों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया, जिससे सैन्य सहयोग गहरा हुआ।
- **2021 वर्चुअल शिखर सम्मेलन:** क्वाड नेताओं ने वर्चुअल बैठक की और "स्पिरिट ऑफ द क्वाड" जारी किया, जिसमें साझा सिद्धांत और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया।
- **क्वाड कैंसर मूनशॉट:** इंडो-पैसिफिक में कैंसर, विशेषकर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से मृत्यु दर कम करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी संसाधनों को जुटाने का संयुक्त प्रयास।
  - भारत इसके अंतर्गत $7.5 मिलियन मूल्य के HPV टीके, स्क्रीनिंग किट और डायग्नोस्टिक उपकरण साझेदार देशों को उपलब्ध कराएगा।
- **क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल:** आवश्यक खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ और विविध बनाने का प्रयास।
  - यह एक ही देश पर प्रसंस्करण और परिष्करण के लिए अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न आर्थिक दबाव, मूल्य हेरफेर एवं आपूर्ति व्यवधानों की चिंताओं को उजागर करता है।

स्रोत: TH

कोन्याक नागा जनजाति की कैंसर-रोधी जड़ी-बूटियाँ

संदर्भ

- नागालैंड विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन ने कोन्याक नागा जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल औषधि में कैंसर-रोधी क्षमता की पहचान की है।

परिचय

- शोधकर्ताओं ने कोन्याक जनजातीय वैद्यों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रयुक्त पाँच पौधों की बहु-हर्बल संरचना का विश्लेषण किया।
- अध्ययन में पाया गया कि इस संरचना में उपस्थित जैव सक्रिय यौगिक VEGFR2 (वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2) को प्रभावी रूप से लक्षित करते हैं, जो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख प्रोटीन है।
  - VEGFR2 का अवरोधन ट्यूमर में रक्त वाहिकाओं के निर्माण को रोक सकता है, जिससे कैंसर की वृद्धि सीमित होती है।

कोन्याक नागा जनजाति

- नागालैंड की सबसे बड़ी नागा जनजातियों में से एक, मुख्यत: मोन ज़िले में निवास करती है।
- ऐतिहासिक रूप से कोन्याक जनजाति सिर-शिकार की परंपरा के लिए जानी जाती थी, जो योद्धा की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी।
- पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था वंशानुगत मुखियाओं (Anghs) द्वारा संचालित होती है।
- कोन्याक भाषा तिब्बतो-बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है।
- मुख्य व्यवसाय झूम (स्थानांतरित खेती) है।
- प्रमुख उत्सव: **आओलेंग उत्सव**, जो अप्रैल में नववर्ष और बुवाई के मौसम की शुरुआत को चिह्नित करता है।

स्रोत: DTE

ग्लुफोसिनेट

समाचारों में

- सरकार ने ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों के आयात पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। यह एक शाकनाशी है जिसका उपयोग खेती में किया जाता है।

ग्लुफोसिनेट-अमोनियम

- यह एक शाकनाशी है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

- यह अत्यधिक जल-विलेय है और भूजल में रिसने की संभावना कम है।
- इसे अत्यधिक खतरनाक माना जाता है, जिसके जोखिमों में न्यूरोटॉक्सिसिटी, प्रजनन हानि, हृदय संबंधी प्रभाव और भ्रूण क्षति शामिल हैं।
- इसकी अस्थिर प्रकृति किसानों और आसपास की आबादी को साँस द्वारा एवं त्वचा संपर्क के माध्यम से प्रभावित करती है।

स्रोत: ET

हबल तनाव

संदर्भ

- हाल ही में एक वैश्विक खगोलीय सहयोग ने ब्रह्मांड की स्थानीय विस्तार दर का 1% सटीकता के साथ मापन किया है।

हबल तनाव

- हबल तनाव उस स्थायी असंगति को संदर्भित करता है जो ब्रह्मांड की विस्तार दर (हबल स्थिरांक) को मापने में पाई जाती है। यह दर बताती है कि आकाशगंगाएँ एक-दूसरे से कितनी तीव्रता से दूर जा रही हैं।
- दो प्रमुख विधियाँ परस्पर विरोधी परिणाम देती हैं:
  - **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विधि:** यह बिग बैंग के बाद की विकिरण का अध्ययन करती है। इस विकिरण में तापमान उतार-चढ़ाव का विश्लेषण लगभग 68 किमी/सेकंड प्रति मेगापारसेक की विस्तार दर का संकेत देता है।
  - **कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर विधि:** यह निकटवर्ती खगोलीय पिंडों जैसे सेफीड परिवर्ती तारे और सुपरनोवा का उपयोग करती है ताकि यह गणना की जा सके कि वे पृथ्वी से कितनी तीव्रता से दूर जा रहे हैं। यह “स्थानीय” मापन लगभग 73 किमी/सेकंड प्रति मेगापारसेक का उच्च मान देता है।
- इन दोनों मानों के बीच का अंतर ही हबल तनाव कहलाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्मांड में अज्ञात भौतिक प्रक्रियाओं या मापन तकनीकों में संभावित प्रणालीगत त्रुटियों की ओर संकेत कर सकता है। इसका समाधान ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्रोत: TH

दुर्बलता (Frailty)

संदर्भ

- जर्नल *सेल स्टेम सेल* में प्रकाशित एक अध्ययन ने दुर्बलता के उपचार हेतु स्टेम सेल थेरेपी की संभावनाओं को उजागर किया है।

दुर्बलता क्या है?

- दुर्बलता तीव्र जैविक वृद्धावस्था की स्थिति है, जो कम सहनशक्ति और धीमी पुनर्प्राप्ति से चिह्नित होती है।
- यह कोई एकल रोग नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालिक सूजन, मांसपेशी हानि, रक्तवाहिनी वृद्धावस्था, प्रतिरक्षा तंत्र की अक्षमता और दीर्घकालिक तनाव के संचयी प्रभावों से उत्पन्न होती है।
- चूँकि इसका कोई एकल आणविक लक्ष्य नहीं है, अधिकांश चिकित्सा अनुसंधान ने दुर्बलता के परिणामों को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, न कि स्थिति को उलटने पर।

क्या आप जानते हैं?

- दुर्बलता विश्वभर में 50 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है।
- भारत में, जहाँ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या 2050 तक लगभग 20% होने का अनुमान है, यह स्थिति व्यापक रूप से उपस्थित होने की संभावना है, किंतु शायद ही कभी निदान की जाती है।

स्रोत: TH

NEXT IAS